भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2303
दिनांक 13 मार्च, 2025

कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता में कमी

2303. श्री मुकेश राजपूत :
डा. के. सुधाकर:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री चिन्तामणि महाराज:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री बलभद्र माझी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सरकार ईंधन की कीमतों में स्थिरता को किस प्रकार सुनिश्चित करती है;

(ग) सरकार तेल और गैस निष्कर्षण और शोधन से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान किस प्रकार कर रही है;

(घ) वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध–शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में पेट्रोलियम क्षेत्र की क्या भूमिका है; और

(ड.) क्या कच्चे तेल की खोज परियोजनाओं के संबंध में किसी देश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सरकार आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने तथा तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति, 2014।
ii खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति, 2015।
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016।
iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017।
v. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017।
vi. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017।

vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिन में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।

viii. पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससी के विस्तार हेतु नीति ढांचा।

ix. तेल और गैस के लिए उन्नत रिकवरी विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018।

x. मौजूदा उत्पादन साझेदारी संविदाओं (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति ढांचा।

xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020।

xii. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के तहत ओएएलपी ब्लॉकों में चरण- I में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई वेधन प्रतिबद्धता नहीं।

xiii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को छोड़ना जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था।

(ख): सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयूज) की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा उपभोक्ताओं पर उच्च क्रूड मूल्यों के बोझ को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

i. केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में दो बार में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 13 रुपये प्रति लीटर और 16 रुपये प्रति लीटर की कटौती की, जिसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य वैट दरों में कमी की। मार्च, 2024 में, ओएमसीज ने भी देश भर में पेट्रोल और डीजल प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की।

ii. कच्चे तेल के आयात में विविधता लाकर आम नागरिकों को उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से बचाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाना आदि।

iii. पीएसयू ओएमसीज द्वारा अंतर-राज्य माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाया गया है, जिससे राज्यों के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस पहल से राज्य के भीतर पेट्रोल या डीजल की अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच का अंतर भी कम हो गया है।

iv. देशभर में 10.33 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राजसहायता वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ राज्य सरकारें भी एलपीजी रिफिल पर कुछ अतिरिक्त राजसहायता दे रही हैं और अपने संबंधित बजट से अतिरिक्त लागत वहन कर रही हैं।

(ग) से (घ): तेल और गैस पीएसयूज ने पहले ही निवल शून्य स्थिति के लिए अपना लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी तिथियों की घोषणा कर दी है तथा उसके लिए योजनाएं विकसित की हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने और देश के निवल-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे अपने प्रचालनों और मूल्य श्रृंखलाओं को डीकार्बोनाइज करने हेतु बहुत से उपाय कर रहे हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वच्छ/वैकल्पिक ईंधन की

शुरूआत करना; जैसे भारत स्टेज (बीएस) IV से बीएस VI ईंधन मानदंडों पर जाना; जैव ईंधन जैसे एथेनॉल मिश्रण, संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) और जैवडीजल को अपनाना, स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना; गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना आदि शामिल हैं। पिछले 10 वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण ने लगभग 578 लाख मीट्रिक टन सीओ2 उत्सर्जन को कम करने में सहायता प्रदान की है। सरकार ने "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" को भी अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना के उद्देश्य से एकीकृत जैव-एथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(ङ): सरकार ने स्वचालित मार्ग के माध्यम से ईएंडपी क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की है। अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों के लिए ब्लॉक/क्षेत्रों की पेशकश अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जहाँ घरेलू कंपनियों को विदेशी बोलीदाताओं के साथ समान नियम और शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करनी होती है। भारतीय तेल और गैस पीएसयूज देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विदेशों में उच्च गुणवत्ता वाली तेल और गैस परिसंपत्तियां हासिल करने के अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। तेल और गैस पीएसयूज के पास 21 देशों में 45 ब्लॉकों में भागीदारी हित (पीआई) है।

*****